लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1396

जिसका उत्तर बुधवार, 04 दिसंबर, 2024 को दिया जाएगा

वस्तुओं की बिक्री में घटतौली

1396. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वस्तुओं की बिक्री में घटतौली आम बात हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई अभियान चलाया है;

(ग) यदि हां, तो घटतौली करने वाले व्यक्तियों/कंपनियों के विरूद्ध वर्तमान में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या ये कार्रवाई उन्हें ऐसा अपराध करने से रोकने के लिए पर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) से (घ): विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 30 में तय बाट, माप या भुगतान से कम मात्रा में सामान को खुले या खुले रूप में बेचने पर 10,000.00 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। बार-बार अपराध करने पर एक वर्ष की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

विधिक मापविज्ञान अधिनियम की धारा 36(2) में कम बाट, माप या मात्रा के साथ पैकबंद रूप में सामान बेचने पर 10,000.00 से 50,000.00 रुपये तक के जुमाने का प्रावधान है। बार-बार उल्लंघन करने पर जुर्माना 1 लाख रुपये तक का हो सकता है या एक वर्ष तक की कैद अथवा दोनों हो सकते हैं।

विधिक माप विज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 6(1) (ग) के अनुसार पैकबंद वस्तुओं पर शुद्ध मात्रा को बाट या माप या संख्या की मानक इकाइयों में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा "जागो ग्राहक जागो" के तत्वावधान में देश भर में मल्टीमीडिया जागरूकता अभियान चलाकर उपभोक्ता जागरूकता उत्पन्न की जा रही है ताकि आकाशवाणी, दूरदर्शन, मेले और त्यौहारों आदि जैसे पारंपरिक मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए देश के हर उपभोक्ता तक पहुंचा जा सके। सरल संदेशों और जिंगल्स के माध्यम से उपभोक्ताओं को विभिन्न अनुचित व्यापार प्रथाओं, उपभोक्ता से संबंधित मुद्दों और निवारण प्राप्त करने की व्यवस्था के बारे में जागरूक किया जाता है। विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए "जागृति" नामक शुभंकर भी लॉन्च किया था। शुभंकर का उद्देश्य उपभोक्ता जागरूकता अभियान को सशक्त करना और युवा को सशक्त और संसूचित उपभोक्ता बनाना है।

राज्य विधिक मापविज्ञान विभाग इन कानूनों को लागू करते हैं तथा निरीक्षण के दौरान शिकायतों या विसंगतियों या कम तौल पाए जाने पर कार्रवाई करते हैं।

राज्य सरकारें व्यापार मेलों में प्रदर्शनियों के माध्यम से विभिन्न जागरूकता गतिविधियों चलाती है, प्रेस विज्ञप्तियां जारी करती है और फील्ड कैंप आयोजित करती है। राज्य विधिक मापविज्ञान विभाग नियमित रूप से औचक निरीक्षण करता है, समय-समय पर छापे भी मारता है, किसी भी विसंगति के मामले में चालान जारी करता है और जहां भी कम डिलीवरी का अपराध पाया जाता है, अपराधों की कंपाउंडिंग करता है।

****